फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

हेमराज बनाम भौरीलाल वगै0

पत्र संख्या : 192/2011

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27.08.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध वादी का वाद पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1270 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1271 रकबा 19 बीघा, ,खसरा नम्बर 1276 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 3 कुल 23 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1258 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1259 रकबा 36 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 37 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम चौमुखा तहसील जमवारामगढ में स्थित है। खसरा नम्बर 1258 रकबा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 1259 रकबा 36 बीघा 18 बिस्वा को आगे इस वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। उक्त विवादग्रस्त भूमियों में वादीगण का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 का संयुक्त हिस्से 1/2 इसी अनुसार मनबट के आधार पर काबिज काश्त है। वादी के पिता हंसराज की मृत्यु के समय उसके दो विधिक वारीस उसके दो पुत्र किशनलाल (प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता) व हेमराज थे। वादी के पिता हंसराज की मृत्यु के समय उसकी समस्त खातेदारी भूमियों में वादी का हिस्सा 1/2 स्वतः निहित हो गया था। वादी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात से उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति सम्पूर्ण में अपने हिस्से 1/2 पर खातेदार की हैसीयत से काबिज काश्त है। हंसराज की उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति में से खसरा नम्बर 1270 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1271 रकबा 19 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1276 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा का नामा0 प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता किशनलाल के नाम दर्ज कर दीया गया जो गलत एवं अविधिक है। वादी के भाई किशनलाल का स्वर्गवास हो चुका है और उसका फौती नामा0 भी उसके दो पुत्रों प्रतिवादी सं0 1 व 2 तथा उसकी पत्नि भोरी के नाम दर्ज कर दिया गया। भोरी देवी का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा उसका फौती नामा0 भी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 के नाम दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादी उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति खसरा नम्बर 1258 व खसरा नम्बर 1259 में वास्तविक रूप से हिस्सा 139/744 का खातेदार है। इतने भाग पर वह काबिज है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1258, 1259 स्थित ग्राम चौमुखा तहसील जमवारामगढ के राजस्व रिकार्ड में वादी का हिस्सा 139/744 तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 का संयुक्त रूप से हिस्सा 605/744 घोषित किया जावे। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला–जयपुर	

वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत दावा विधि विरूद्व हैं तथा वाद पत्र खारिज योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध वादी का वाद पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार करना उचित नही समझते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधि0 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर